

FORM III

फॉर्म अहकाम

(नियम 20)


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टॉक)  
 राजेश पुत्र प्रभुलाल बनाम लक्ष्मीलाल इतिपात्र  
 पुत्री पि 37/1  
 किरम मुकद्दमा प्रपत्र 136 L.R Act नम्बर 85 सन्. 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30-6-2016	<p>खुशी लक्ष्मील दे 10 प्रपत्र अहकाम प्रपत्र 136 L.R Act प्रस्तुत करे पर दर्ज रजिस्टर कल फेरोंकर सरकार नामक लक्ष्मीलाल इतिपात्र के जवाब लिख गया।</p> <p>इसके पको को खुना गया प्रजावली लक्ष्मील दे प्रपत्र अहकाम प्रपत्र 136 L.R Act का प्रवलोका रफिदा गया तबल प्रजावली शकत 2069-2072 को ग्राह भाली में प्रपत्र का नाम खोदू दर्ज ही रका संख्या 26, 30, 28, 29, 27. में प्रपत्र का नाम खोदू दर्ज ही इली प्रकर गृह रामनगर संख्या संख्या 27, 26. में भी प्रपत्र का नाम खोदू ही प्रपत्र द्वारा प्रस्तुत किया प्रति परिवार राशनकार्ड, भारत विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाई सेना में प्रपत्र का नाम राजेश पुत्र प्रभुलाल दर्ज ही संरक्षण प्रपत्र पंचायत पापना द्वारा प्रदत्त प्रपत्र पत्र के अनुसार खोदू व राजेश एक ही व्यक्ति ही।</p>	

उप खण्ड अधिकारी  
 उनियारा

प्रेसोकार द्वारा तत्पक्ष तहकीलदार  
के अतिरिक्त भी अपने जवाब दे कराने  
दिनांक 26 व 27 के दिन को ध्यान में  
रखते हुए शुद्ध किया जाना उचित है।  
राज्य लोक अदालत न्याय  
अपने कार को मध्यम रखते हुए  
प्रकार का प्राप्ति स्वीकार करना उचित  
है।

दस्तावेजों का प्रार्थना पत्र  
स्वीकार किया जाना तहकीलदार अतिरिक्त  
को अतिरिक्त किया जाना ठीक है।  
ग्रुप अदाली के खला संख्या 26, 27, 28,  
29 व 30 तथा ग्रुप शमनगर के खला  
संख्या 26 व 27 के खोलू के स्थान  
पर शजेश उर्फ खोलू अंकित करते  
हुए राज्य रिकार्ड को सुरक्षित करके  
पालना हेतु तहकीलदार अतिरिक्त को  
लिखा जाकर पत्रावली के तहत  
करा है।

  
उप-उप-अधिकारी  
जयपुर